न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—56 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

लखवीर चन्द पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादी

बनाम

1. मुकन्द लाल पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण सा. बोलांवाली तह. संगरिया हाल आबाद 31—ए वेस्ट कोस्ट पार्क, 04—29, सिंगापुर
2. पुरषोतमदास पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण सा. बोलांवाली तह. संगरिया हाल आबाद वार्ड नः 13 सादुलशहर तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू अधिवक्ता वादी
2. श्री गुरमीत सिह कलसी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. राज—पेरोकार प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय **दिनांकः—18.04.2019**

वादीगण लखवीर चन्द ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत इस्तकरार हक का इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद र्शीषक मे दर्ज है।

वादी तथा प्रति स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक हंसराज के वारिसान है तथा सगे भाई है। जिनके संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक 14 बी.जी.पी. खाता स. 88 / 78, 88 खाता रामनाथ वगैरा ज. स. 2071—74 तथा चक 15 बी.जी.पी. खाता स. 102 / 125 खाता रामनाथ वगैरा ज.स. 2068—71 तथा चक 16 बी.जी.पी. खाता स. 47 / 29 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2070—73 तथा इसी चक के खाता स. 58 / 33 खाता राम सिह वगैरा तथा चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 100 / 86 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2068—71 तथा चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 57 / 43 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2069—72 तथा चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स 73 / 91 खाता रामनाथ वगैरा ज.स. 2069—72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के उक्त खातो की जमाबन्दीयां संलग्न है।

दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी हंसराज के फौत होने के बाद उनके पुत्रगण वादी व प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 मुकन्द लाल पुत्र हंसराज ने अपने पिता हंसराज से प्राप्त अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी के बदले में कुछ नकद राशी तथा अन्य सम्पति जैसे घरेलु मकान वगैरा व अन्य सम्पति घरू बंटवारा मुताबिक अपने भाईयों वादी व प्रति स. 2 से प्राप्त कर ली है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है। इसलिए प्रति स. 1 ने अपने पिता से प्राप्त अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग अपने भाईयों वादी एवं प्रति स. 2 के पक्ष में ब.हि..ब कर दिया है।उक्त वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रति स. 2 ही हकदार है। अतः दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी तथा प्रति स. 2 ब.हि..ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है।इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है।

वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारें पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से अंकन करवा देवें तो इस

पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण हैं।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिए वकील एवं स्वयं हाजिर आकर उक्त दावे में जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 राज–पेरोकार ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी लखवीर चन्द का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार डिक्री करने की इस्तदुआ की एवं प्रतिवादी 2 द्वारा अपने जवाब दावा में वाद पत्र को राज्यहित हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र को डिग्री किये जाने का कथन किया तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा एव पत्रावली तथा रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र डिग्री किया जाता है कि चक 14 बी. जी.पी. खाता स. 88/78, 88 खाता रामनाथ वगैरा ज. स. 2071–74 तथा चक 15 बी.जी.पी. खाता स. 102/125 खाता रामनाथ वगैरा ज.स. 2068–71 तथा चक 16 बी.जी.पी. खाता स. 47/29 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2070–73 तथा इसी चक के खाता स. 58/33 खाता राम सिह वगैरा तथा चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 100/86 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2068–71 तथा चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 57/43 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2069–72 तथा चक 10 एन.टी. डब्लयु खाता स 73/91 खाता रामनाथ वगैरा ज.स. 2069–72 में प्रतिवादी संख्या 1 मुकन्दलाल पुत्र हंसराज के नाम दर्ज आराजी का वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खातो से नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–56 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88 आरटीए

लखवीर चन्द पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम

1. मुकन्द लाल पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण सा. बोलांवाली तह. संगरिया हाल आबाद 31–ए वेस्ट कोस्ट पार्क, 04–29, सिंगापुर
2. पुरषोतमदास पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण सा. बोलांवाली तह. संगरिया हाल आबाद वार्ड नः 13 सादुलशहर तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 14 बी.जी.पी. खाता स. 88 / 78, 88 खाता रामनाथ वगैरा ज. स. 2071–74 तथा चक 15 बी.जी.पी. खाता स. 102 / 125 खाता रामनाथ वगैरा ज.स. 2068–71 तथा चक 16 बी.जी.पी. खाता स. 47 / 29 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2070–73 तथा इसी चक के खाता स. 58 / 33 खाता राम सिह वगैरा तथा चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 100 / 86 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2068–71 तथा चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 57 / 43 खाता मुकन्द लाल वगैरा ज.स. 2069–72 तथा चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स 73 / 91 खाता रामनाथ वगैरा ज.स. 2069–72 में प्रतिवादी संख्या 1 मुकन्दलाल पुत्र हंसराज के नाम दर्ज आराजी का वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खातो से नाम कलमजन किया जावे। यदि उक्त प्रश्नगत आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.04.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 14:27:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: